

सधु जल संधि

प्रलमिस के लयि:

कशिनगंगा और रातले जलवदियुत परयोजनाएँ, IWT का अनुच्छेद IX, सधु और उसकी सहायक नदयिँ ।

मेन्स के लयि:

सधु जल संधि और संबंघति कारयान्वयन मुद्दे ।

चर्चा में क्यौं?

भारत ने जम्मू-कश्मीर में कशिनगंगा तथा रातले (चनिाब नदी पर) जलवदियुत परयोजनाओं पर वविादों को हल करने में पाकसितान की "हठधर्मति" का हवाला देते हुए [सधु जल संधि](#) (Indus Waters Treaty -IWT) की समीक्षा और इसमें संशोधन की मांग करते हुए पाकसितान को एक नोटसि जारी कयिा है ।

- यह नोटसि "IWT के अनुच्छेद IX द्वारा परकिल्पति वविाद नपिटान के श्रेणीबद्ध तंत्र के उल्लंघन" के बाद भेजा गया था ।

सधु जल संधि:

- परचिय:
 - भारत और पाकसितान ने नौ वर्षों की बातचीत के बाद सतिंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर कयि, जसिमें [वशिव बैंक](#) भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्त्ता था ।
 - यह संधि सधु नदी और उसकी पाँच सहायक नदयिँ सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चनिाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लयि एक तंत्र नरिधारति करती है ।

The Indus Waters Treaty (IWT)

■ The distribution of waters of the Indus and its tributaries between India and Pakistan is governed by the Indus Water Treaty (IWT).

■ Was signed on Sept 19, 1960, between India, Pakistan and a representative of World Bank after eight years of negotiations.

■ Partition of India cut across the Indus river basin, which has the Indus river, plus five of its main tributaries.

Western rivers

Chenab, Jhelum, Indus

India's rights over these rivers: Limited — can set up certain irrigation, run-of-the-river power plants, very limited storage, domestic and non-consumptive use, all subject to conditions



Baglihar dam on Chenab

PAKISTAN

J&K

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA

INDIA



Eastern rivers Sutlej, Beas, Ravi

India's rights over these rivers: All exclusive rights lie with India.



Indus Waters Commission a success story

- Once every five years, conducts a general inspection of all rivers in parts. Total inspection tours so far: Over 100
- Regularly meets once a year. Total meetings thus far, including those for taking up Pak objections: Over 100

■ प्रमुख प्रावधान:

○ साझा जल:

- संधि ने निर्धारित किया कि सधु नदी प्रणाली की छह नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा।
- इसके तहत तीन पश्चिमी नदियों- सधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिये पाकिस्तान को आवंटित किया, भारत द्वारा कुछ गैर-उपभोग्य, कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य तीन पूर्वी नदियों- रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिये भारत को आवंटित किया गया था।
 - इसका मतलब है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिये छोड़ दिया गया।

○ स्थायी सधु आयोग:

- इसके लिये दोनों देशों को दोनों पक्षों के स्थायी आयुक्तों द्वारा एक स्थायी सधु आयोग की स्थापना की भी आवश्यकता थी।
- सधु जल संधि के अनुसार, आयोग वर्ष में कम-से-कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा।

○ नदियों पर अधिकार:

- झेलम, चिनाब और सधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है, IWT के अनुलग्नक C में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक D इसे 'रन ऑफ द रिवर' जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है।

◦ **ववाद समाधान तंत्र:**

- IWT संधि जल संधि के अनुच्छेद IX के तहत तीन चरणों वाला ववाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के "प्रश्नों" का समाधान स्थायी आयोग में किया जा सकता है या इन्हें अंतर-सरकारी स्तर पर भी उठाया जा सकता है।
- जल-बँटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों या "मतभेदों", जैसे- तकनीकी मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष नरिणय लेने के लिये तटस्थ वशिषज (NE) की नयुक्ति हेतु वशि्व बैंक से संपर्क कर सकता है।
 - अंततः यदि कोई भी पक्ष NE के नरिणय से संतुष्ट नहीं है या संधिकी व्याख्या और सीमा "ववाद" के मामले में मामलों को मध्यस्थता न्यायालय में भेजा जा सकता है।

कशिनगंगा जलवदियुत परयोजना

- कशिनगंगा परयोजना भारत के जम्मू-कश्मीर में बांदीपूर से 5 कमी. उत्तर में स्थित है।
- यह एक रन-ऑफ-द-रिवर परयोजना है जिसमें 37 मीटर लंबा कंक्रीट-फ्रेम रॉक-फॉल बाँध शामिल है।
- इसे कशिनगंगा नदी के पानी को एक सुरंग के माध्यम से झेलम नदी बेसिन में एक वदियुत संयंत्र में डाइवर्ट करने की आवश्यकता है।
- इसकी स्थापति क्षमता 330 मेगावाट होगी।
- इस जलवदियुत परयोजना का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था।
- पाकिस्तान ने परयोजना पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह कशिनगंगा नदी (जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है) के प्रवाह को प्रभावित करेगा।
- वर्ष 2013 में हेग में स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Court of Arbitration- CoA) ने फैसला सुनाया कि भारत कुछ शर्तों के साथ पूरे जल का उपयोग और इसे डाइवर्ट कर सकता है।

आगे की राह

- संधि के प्रावधानों का पालन करने में भारत की भूमिका उल्लेखनीय रही है, लेकिन देश पर इस बात पर पुनर्विचार करने का दबाव है कि वह किस हद तक प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसके समग्र राजनीतिक संबंध कठोर हो गए हैं।
- IWT को अक्सर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावनाओं के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच अशांत संबंधों के बावजूद मौजूद है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. संधि नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन उनमें से एक में मिलती हैं, जो अंततः सीधे संधि में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसी नदी है जो सीधे संधि से मिलती है?

- (a) चिनाब
- (b) झेलम
- (c) रावी
- (d) सतलज

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- झेलम पाकिस्तान में झांग के पास चिनाब में मिलती है।
- रावी सराय सद्विधू के नजदिक चिनाब में मिल जाती है।
- सतलज पाकिस्तान में चिनाब में मिलती है। इस प्रकार सतलज को रावी, चिनाब और झेलम नदियों की सामूहिक जल निकासी प्राप्त होती है। यह मथिनकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर संधि नदी से मिलती है।

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2019)

हमिनद	नदी
1. बंदरपूछ :	यमुना
2. बड़ा शगिरी :	चिनाब
3. मलिन :	मंदाकनी

4. सयिचनि : नुबरा
5. जेम् : मानस

उपर्युक्त युगों में से कौन-से युग सही सुमेलति हैं?

- (a) 1, 2 और 4
(b) 1, 3 और 4
(c) 2 और 5
(d) 3 और 5

उत्तर: (a)

प्रश्न. सधु जल संधिका लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिये और बदलते दवपिक्षीय संबंधों के संदर्भ में इसके पारस्थितिकि, आर्थिक और राजनीतिक नहितार्थों की जाँच कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2016)

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/indus-waters-treaty-1>

